

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

74

पत्रांक : 156/अ0सचिव/जोन-1/प्रस्ता0/2012-13 दिनांक 03/10/2012

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न रागड़ाना चाहिये कि उस शूंगी के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इतसे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती रीता बग्गा पत्नी स्व0 राजीव रतन बग्गा, श्री तरुण बग्गा पुत्र स्व0 राजीव रतन बग्गा स्थल नजूल प्लॉ होल्ड साइट नं0-G सिविल स्टेशन, एलिन रोड, इलाहाबाद (क्षेत्रफल 781.18 वर्गमीटर) जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दखिल व्यवसायिक भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिमोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्ति करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थागित सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 08 वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल का अधिमोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही किया जाय, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा प्रेषित अनापत्ति पत्र सं0-719/STCE/12 दिनांक 16.05.2012 में अंकित प्रतिबन्धों (छायाप्रति संलग्न) जो मुख्यतः निम्नवत् हैं का अक्षरशः अनुपालन करना होगा :-
 - A. भवन के निर्माण के दौरान नगर निगम की किसी भी अवस्थापना सुविधा मुख्यतः नाली व सड़क पटरी आदि की यदि क्षति होती है तो उसकी मरम्मत एवं निर्माण भवन स्वामी द्वारा अपने हर्जे खर्चों पर कराना होगा।
 - B. भवन के जल निकासी की उचित व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
 - C. निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त समस्त गिट्टी, मलवा सड़क से हटाना होगा।
8. रेनवाटर हार्वस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्म जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. रोड वाइडनिंग हेतु छोड़ी जा रही शूंगी पर कम्पनसेटरी एफ0ए0आर0 प्राप्त किया जा रहा है, उक्त कारणवश मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी जाने वाली शूंगी का मुआवजा प्राप्त नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्र दिनांक 13.06.2012 बाध्यकारी होंगे।

Continued

